

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में “दन्त चिकित्सा में तकनीकी सहायक” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में “दन्त चिकित्सा में तकनीकी सहायक” के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए टिप्प/भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल - कर सकते हैं।

ग्री-सामंत
(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

2020

मा.का.नि. - राष्ट्रपति, मंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, दन्त शल्य-चिकित्सा में तकनीकी सहायक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 को, उन वार्तों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में दन्त शल्य-चिकित्सा में तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, दन्त शल्य-चिकित्सा में तकनीकी सहायक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वार्ते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहृता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखवद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई वात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व मैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्त शल्य-चिकित्सा में तकनीकी महायक	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माध्यारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुमतिचीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	लागू नहीं होता।	20 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुमार सरकारी सेवकों के लिए चालीम वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) (आयु-सीमा निर्धारण की नियत तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
<p>(7) आवश्यक:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) किसी मान्यताप्राप्त वोर्ड में 12 वर्ष कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डेटल हाइजीन/डेटल मैकेनिक/मक्सिलो-फेशियल प्रॉम्थेमिस और ऑर्थोडोटिक अप्लाइन्स में (कम-में-कम दो वर्ष) का डिप्लोमा। (iii) भारतीय दन्त परिषद में डेटल हाइजीनिस्ट/डेटल मैकेनिक के रूप में पंजीकृत। <p>वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के दन्त विभाग में कार्य का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणि 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणि 2: अनुभव संवधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं और चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>(8) लागू नहीं होता।</p>	<p>(9) सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।</p>	<p>(10) 100% प्रतिनियुक्ति द्वारा, (अल्पकालिक मंविदा महित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पणि: पदधारी के एक वर्ष या उसमें अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के एसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो-</p>

(क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद शाखा किए हुए हों; या

(ख) (ii) जिन्होंने मूल काइर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्टर-4 (25500-81100 रुपये) या समतुल्य पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और निम्नलिखित अहतीएं रखते हों :

(i) किसी मान्यताप्राप्त मंस्थान से डेंटल हाईजीन/डेंटल मैकेनिक/मकिन्लो-फेशियल प्रॉस्टेमिय और ऑर्थोडोंटिक आप्लाइन्सेस में डिप्लोमा। और

(ii) किसी अस्पताल के दन्त विभाग में कार्य का एक वर्ष का अनुभव।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p> <p style="text-align: center;">(11)</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या प्रतिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या</p> <p>(ii) जिन्होंने बेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्ननिखित शैक्षिक अहर्तार्थ और अनुभव रखते हों:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डेंटल हाईजीन/डेंटल मैकेनिक/मक्रिमलो-फेशियल प्रॉस्ट्रेशन और ऑर्थोडोन्टिक अप्लाइनमें में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र; और</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के दन्त विभाग में कार्य का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p> <p style="text-align: center;">(12)</p> <p>समूह-ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्ननिखित में मिल कर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. लेडी हाईडिंग मेडिकल कॉलेज के दन्त विभाग के प्रमुख - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक (प्रशासन), लेडी हाईडिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हाईडिंग मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य। 	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> <p style="text-align: center;">(13)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>
---	---	---

[ए.11018/29/2016-एमएच II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार